न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, राम रतन सौंकरिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या 06/20 निर्णय दिनांकः 28–02–2020
(आरसीएमएस संख्या 2020/00020)

1. गिरधारी पुत्र जगमालराम जाति जाट निवासी तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, खाजुवाला

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 30–03–2000
उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला

उपस्थितिः–

1. श्री पुरूषोतम सारस्वत, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला के आदेश दिनांक 30–03–2000 जिसके द्वारा अपीलांट् का विशेष आवंटन का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को बतौर विशेष आवंटन हेतु उपनिवेशन तहसील खाजुवाला के चक 1–2 एमडीएम के मुरब्बा नम्बर 182/57 में तादादी 25 बीघा भूमि के आवंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पत्र के साथ अपीलांट द्वारा भूमि तस्दीक प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, निर्वाचन सूची वर्ष 1955, 1971, 1988 व 1998 व सद्भावी काश्तकार का प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत किये गये थे तथा धरोहर राशि जरिये जीए 55 संख्या 406963/84 द्वारा जमा करवाई गई थी। उक्त आवेदन पत्र पर अदालत मातहत द्वारा

अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा तौर पर अपीलांट का आवेदन पत्र इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि अपीलांट द्वारा आवेदित रकबा पूर्व में अन्य को आवंटित है। यदि ऐसी स्थिति तो अदालत मातहत को उक्त मुरब्बें के आवंटन हेतु मांग नहीं की जानी चाहिए थी तथा पूर्व में आवंटन का रिकार्ड राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना चाहिए था। इसमें अपीलांट की कोई गलती नहीं है। राजस्व कर्मचारियों व अमलामाल की गलती का खामियाजा अपीलांट को नहीं मिल सकता। अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है।

राज्य सरकार के भी ऐसे आदेश है कि ऐसे व्यक्तियों को वरीयता देकर अन्यत्र भूमि दी जावे। चूंकि अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व से ही वन विभाग को आवंटनशुदा भूमि है इसलिए अपीलांट अन्य भूमि पाने का पात्र है। अदालत मातहत को अपीलांट के आवंटन को निरस्त करते हुए स्वमेव आदेश जैर अपील में यह अभिलिखित किया है कि अपीलांट अन्यत्र रकबा हेतु आवेदन कर सकते है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को स्वयं अपीलांट को पात्रता के अनुसार अन्य भूमि आवंटित की जानी चाहिए थी लेकिन अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवेदन तो निरस्त कर दिया गया परन्तु उसकी एवज में अन्यत्र भूमि के आदेश पारित नहीं किये है। जबकि अपीलांट की पात्रता आज दिनांक तक कायम है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 30–03–2000 के विरूद्व अपील दिनांक 27–12–2019 को पेश की गई है। जो कि स्पष्ट रूप से मियांद बाहर अपील है। अपीलांट द्वारा आवेदित भूमि पूर्व से ही वन विभाग हेतु आरक्षित भूमि रही है। ऐसीस्थिति में अपीलांट को उक्त भूमि प्राप्त नहीं हो सकती। लिहाजा अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रकरण में जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 30—03—2000 के विरूद्व अपील दिनांक 27—12—2019 को पेश की गई है। अपीलांट द्वारा अपील के साथ मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में कोई काऊन्टर शपथ राज्य पक्ष की तरफ से प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जाती है।

प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा बतौर विशेष आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हुए चक 1—2 एमडीएम के मुरब्बा नम्बर 182/57 के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 25 बीघा भूमि के आवंटन हेतु इस्तदुआ की गई थी। अपीलांट द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ भूमि तस्दीक प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, निर्वाचन सूची वर्ष 1955, 1971, 1988 व 1998 व सद्भावी काश्तकार का प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत करते हुए धरोहर राशि जरिये जीए 55 संख्या 406963/84 द्वारा जमा करवाई गई थी। इस प्रकार अपीलांट द्वारा अपने आवेदन पत्र की तमाम प्रकिया पूर्ण कर ली गई थी। प्रकरण में उल्लेखनीय है कि अदालत मातहत द्वारा विशेष आवंटन हेतु वादग्रस्त भूमि के आवंटन हेतु मांगपत्र आमंत्रित किये जाने पर ही अपीलांट द्वारा वादग्रस्त भूमि के आवंटन की इस्तदुआ की गई थी। तत्पश्चात् अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि अपीलांट द्वारा आवेदित भूमि पूर्व से ही अन्य को आवंटित है। प्रकरण में अदालत मातहत को उक्त भूमि के आवंटन की मांग करने से पूर्व इस तथ्य पर गौर नहीं किया गया ना ही जॉच नहीं की गई, कि आवंटन दिनांक को उक्त आराजी जैर शुद्व रूप से आवंटन हेतु उपलब्ध थी अथवा नहीं? अदालत माताहत का उक्त कृत्य धोर लापरवाही का द्योतक है। अदालत मातहत द्वारा की गई चूक अथवा लापरवाही का खामियाजा अपीलांट को नहीं मिल सकता। प्रकरण में आवंटन अधिकारी की चूक या कर्मचारियों की लापरवाही का खामियाजा आवंटी को नहीं दिया जा सकता।

प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30—03—2000 के अनुसार वादग्रस्त भूमि विशेष आवंटन में अन्य व्यक्ति को आवंटित होना साबित है। इस संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा वादग्रस्त भूमि की जमाबन्दी प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार उक्त भूमि वन विभाग हेतु आरक्षित भूमि है। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करते हुए स्वमेव अंकित किया गया है कि अपीलांट विभाग में अन्य भूमि आवंटन की मांग कर सकते है। ऐसी स्थिति में

बीकानेर

अदालत मातहत को तत्समय ही अपीलांट को पात्रता के अनुसार अन्य भूमि का आवंटन किया जाना चाहिए था। अदालत मातहत द्वारा ऐसा नहीं किये जाने के फलस्वरूप ही अपीलांट को उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करनी पड़ी है। अपीलांट की पात्रता आज दिनांक तक कायम है।

7. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 30—03—2000 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को नियमानुसार उसकी पात्रता की जॉच करते हुए समान श्रेणी की विवादरहित भूमि उपलब्ध होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 28—02—2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सोंकरिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2020.03.12 16:18:59 IST
Reason: SelfAttested
Location: